



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

वांछित अभियुक्त अवैध तमंचे सहित गिरफ्तार

दिनांक 19.05.2021

पुलिस अधीक्षक श्री आर. पी. सिंह द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु जनपद पुलिस को घटनाओं को रोकने व वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त निर्देश के क्रम में थाना रेउसा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त झब्बू उर्फ सेठ पुत्र बदलू लोनिया उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम मड़ोरवा थाना सकरन जिला सीतापुर को ग्राम सोनावा के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभियुक्त उपरोक्त के पास से मु0अ0सं0 192/21 धारा 457/380/411 भादवि थाना लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर से संबंधित कुल 10,000/- रुपये बरामद किये गये। इसके अतिरिक्त अभियुक्त के पास से 01 अदद तमंचा व 2 अदद कारतूस 315 बोर भी बरामद हुआ है। अवैध शस्त्र बरामदगी के संबंध में थाना रेउसा पर मु0अ0सं0 196/21 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। जनपद में अपराध एवम् अपराधियों के विरुद्ध निरंतर प्रभावी कार्यवाही इसी प्रकार प्रचलित रहेगी। विवरण निम्न प्रकार है—

अभियुक्त का नाम/पता- झब्बू उर्फ सेठ पुत्र बदलू लोनिया उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम मड़ोरवा थाना सकरन जिला सीतापुर

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 196/21 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट थाना रेउसा सीतापुर

बरामदगी- कुल 10,000/- रुपये, 01 अदद तमंचा व 2 अदद कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 01/18 धारा 411/413/419/420 भादवि थाना सकरन सीतापुर
2. मु0अ0सं0 192/21 धारा 457/380/411 भादवि थाना लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना रेउसा :-

1. उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना रेउसा जिला सीतापुर
2. हे0का0 दीपक वर्मा थाना रेउसा जिला सीतापुर
3. हे0का0 चन्द्र प्रकाश थाना रेउसा जिला सीतापुर
4. का0 आशीष थाना रेउसा जिला सीतापुर
5. का0 राहुल थाना रेउसा जिला सीतापुर

